

## लोक सुनवाई का वृत्त

मेसर्स संजय कुमार, मे० जय राईस मील द्वारा गया जिला के अंचल—परैया के कलस्टर गया मोरहर —22 बालू घाट, मोरहर—23 बालू घाट, ग्राम— कंदई दंडीबाघ, खिरियावन और अमावन मोरहर नदी का क्षेत्रफल—161.70 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक—**24.09.2020** को अपराह्न 02.30 बजे प्रखण्ड कार्यालय, परैया, जिला—गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०.ओ०.आ००. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या—SIA/1(a)/1043/2020, दिनांक—21.07.2020, एवं पत्र संख्या—SIA/1(a)/1044/2020, दिनांक—21.07.2020 के आलोक में श्री मनोज कुमार, अपर समाहर्ता (राजस्व), गया की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—1)

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाइम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक—**23.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक सुनवाई के दौरान श्री ए. के. गुप्ता, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ—भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा० जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना अर्ध यांत्रिक (semi mechanized) आधारित है अतः ढूलाई के लिए मशीनों का उपयोग किया जाना अनुमोदित है। किसी प्रकार की विस्फोटक व ब्लास्टिंग की आवश्यकता नहीं है। परियोजना का कुल लागत का 2 प्रतिशत कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व मद में रखा गया है जो बिहार सरकार द्वारा अनुमान्य है। परियोजना में कुल 63 कामगारों की आवश्यकता होगी जिनकी भर्ती के लिए स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जायेगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढूलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गों द्वारा जुड़ा है। इन मार्गों का रख—रखाव भी परियोजना प्रस्ताव सुरक्षित करेंगे। खनन कार्य पूर्ण रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य संघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। रात्रि में हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल—कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू.सी. प्रमाणित होंगे। सड़क मार्गों की मरम्मत नियमित रूप की जायेगी तथा कोई भी अस्थायी मार्ग बनाने के लिए ग्रामीणों व किसान भाईयों की सहमति से ही होगा। सड़क मार्गों पर वाहनों गति—सीमा पूर्व नियांत्रित रहेगी जिसका उल्लंघन करने वाहन चालकों व वाहन का रिकॉर्ड रखा जायेगा व ऐसे वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। पर्यावरण प्रबंधन के सुचारू रूप से पालन के लिए खनन क्षेत्र के पास पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जायेगा तथा समय—समय पर क्षेत्रीय निवासियों से परामर्श लिया जायेगा।

अपर समाहर्ता (राजस्व), गया द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। प्रत्येक नियमावली का अनुपालन किया जायेगा तथा अनुपालन न करने पर जुर्माना किया जायेगा। धूल-कण कम करने के लिए इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कराया जायेगा। बालू की ढूलाई में लगे वाहनों को तिरपाल से ढककर ही आवागमन किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते हैं, वे अपनी बात रखें। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैं:-

1. श्री सुधीर कुमार, पिता—श्री रामाश्रय यादव, ग्राम—प्रभुआ, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि इस परियोजना से हमें रोजगार मिलेगा या नहीं।

उत्तर— पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि इस परियोजना में लगभग 63 कामगारों की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें अनुभव के आधार पर ही रोजगार दिया जायेगा जिसका हकदार सबसे पहले स्थानीय लोग ही होंगे।

2. श्री सत्येन्द्र कुमार, पिता—श्री राम सेवक यादव, विष्णुपुर, परैया, जिला—गया द्वारा पूछा गया बालू ढूलाई से हमलोगों का गाँव का रास्ता खराब हो जाता है इसकी मरम्मत की जिम्मेवारी किसकी होगी।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि सड़क मरम्मत की सम्पूर्ण जिम्मेवारी पट्टाधारक की होगी।

3. श्री जय प्रकाश शर्मा, पिता—श्री उमेश शर्मा, ग्राम—दखनेर, जिला—गया द्वारा पूछा गया कि ड्रेक्टर से धूल उड़ता है इसको रोकने का क्या उपाय है।

उत्तर— पर्यावरणीय सलाहकार ने बताया कि धूलकण को रोकने के लिए बालू ढूलाई वाले रास्तों पर दिन में तीन बार जल छिड़काव किया जायेगा तथा बालू लदे वाहनों को तिरपाल से ढककर ले जायेगा।

क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिराप्रनियोपर्दद द्वारा बताया गया कि बालू ढूलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ-ही—साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जाना चाहिए ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर इस परियोजना क्षेत्र में पूर्व में भी खनन हुआ है तो Sand Reserve का ब्योरा Final EIA में उपलब्ध कराया जाए। उनके द्वारा पूछा गया कि पट्टाधारक द्वारा कितना प्रतिशत नदी का खनन क्षेत्र का हिस्सा में खनन नहीं किया जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढूलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने—जाने के समय या भीड़—भाड़ होने के दौरान बालू की ढूलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि बालू उत्खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से करायी जायेगी। ट्रक से बालू ले जाते समय सड़क पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू तिरपाल से ढक कर ले जायेंगे। बालू की खुदाई 2-3 मी० ही की जायेगी। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रत्येक इकाई द्वारा इन बातों का ध्यान रखा जायेगा, साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य करने एवं विभागीय निदेश का अनुपालन करने का सुझाव दिया गया। साथ ही खनन क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं इसका देख रेख पट्टाधारी द्वारा किया जायेगा। खनन नियमावली का उल्लंघन पाये जाने पर लीज धारक के विरुद्ध विधिसंगत कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

३१३  
२८.१०.२०२०  
क्षेत्रीय पदाधिकारी  
बिहार प्रदेश नियमित, गया।

४  
२८.१०.२०२०  
अपर समाहर्ता (राजस्व)  
गया

## उपस्थिति सूची

मे० संजय कुमार, मे० जय राईस मिल द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-परैया के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-22, मोरहर घाट-23 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, परैया, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक 24.09.2020 (गुरुवार) को 02:30 बजे अपराह्न में उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	चौधुरी समाजनी, मंदिरा कुमार	बालूसुन्दरी, गया	<u>प्रभान्तु</u>
2.	माझीकुकाट दुर्गा कुमार	विंग० ८० ५० न० ५४५, ५२११	<u>३१३.१ २४-९-२०</u>
3.	श्री भुज्जन नाथ स० चौधुरी दुर्गा	विंग० ८० ८० न० ५४५३ ५२११	<u>जय</u>
4.	Dr. Jatin K. Srivastava consultant	B-228, Raja Ji Puram Residence	<u>Jatin</u>
5.	विरेन्द्र शर्मा	विंग० ८० ५० न० ५४५३, गया	<u>विरेन्द्र</u>
6.	पुष्पी लिंद	परैया	<u>पुष्पी लिंद</u>
7.	प्रासादी राम प्रतार संसाधन	गया ५१२५	<u>प्रासादी</u>
8.	Rakesh Kumar	Jameson Gaya	<u>Rakesh</u>
9.	Chandan Sh.	Tekari	<u>चंदन</u>
10.	Rinkush Kumar	Kothiyा	<u>Rinkush</u>
11.	Brakish Chandra	Gaya	<u>Brakish Chandra</u>
12.	Shailendra Kumar	Gaya	<u>Shailendra Kumar</u>
13.	Dhiraj Kumar	Gaya	<u>Dhiraj</u>
14.	Shripal Sharma	Gaya	<u>Shripal</u>

15.	मनोज कुमार	Manoj Kumar	and son
16.	पर्वती शर्मा	Parvati Sharma	Sister
17.	Suchit Kumar	Koshalikar	88
18.	Bikram Singh	Bikram Singh	Bro
19.	बिपान कुमार	Bipan Kumar	B
20.	Raman Kumar	Manpur Gaya	RK
21.	Vipin Singh	Bhindas	Vipin S
22.	Raman Jha	Manpur	RK
23.	ललाकेमा	Gaya	Lalakema
24.	Manish Kumar	Gaya	manish kumar
25.	Virendra Kumar	Gaya	Virendra kumar
26.	रमेश कुमार	Ramesh	Ramesh
27.	Rakesh Kumar	Rakesh	Rakesh
28.	Amrit Kumar	Eguru	Amrit
29.	Mahesh Kumar	1649	Mahesh
30.	रमेश कुमार	Ramesh	Ramesh
31.	अशोक कुमार	Ashok	Ashok
32.	Rakesh Kumar	Eguru	Rakesh
33.	मनोज कुमार	Manoj	Manoj
34.	बिपान कुमार	Bipan	Bipan

35.	जग्यन त्रिमार	दरवनेर	जग्यन
36.	पंकज त्रिमार	दरवनेर	पंकज त्रिमार
37.	हरि किशोर	आकेंद्र	हरि
38.	रौष्णी त्रिमार	दरवनेर	Rokey Kumar
39.	पर्यादुराजा	दरवनेर	Jyotshna Dora
40.	Niraj Kumar	सरदारी त्रिमार	Niraj Kumar
41.			
42.	Arinash Kumar	Dakhner	Arinash
	सुरज त्रिमार	दरवनेर	सुरज त्रिमार
43.	Satendra Kumar	सतेन्द्र -	Satendra kumar
44.	सुमित्र प्रसाद	प्रसाद	सुमित्र प्रसाद
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			